

<https://jaivikbharat.fssai.gov.in/>

स्विकृत उत्पादों का आसानी से पहचान और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्र

():

():

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 न्यून एवं प्रवर्तन राज्य/क्षेत्र सरकारों का दायित्व है। खाद्य पदार्थों का निर्यात निगरानी, निरीक्षण एवं औचक नमूना एकत्रण द्वारा किया जा रहा है। अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालना के मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) विभाग, 2006 पर प्रारंभिक खाद्य व्यापारों में रुद्ध कारवाई शुरू की।
